अपील/ एलआर/5711/2003 / जिला चित्तौडगढ
गंगाबाई वगैरह बनाम मु0जानीबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थित :** श्री ईश्वर देवडा, अभिभाषक अपीलांट । रेस्पोडेंटस बार बार आवाल लगाने के बावजूद उपस्थित नहीं, उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही **आदेश** हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–8–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतापगढ के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 55 रकबा 0.27 हेक्टयर भूमि छोटी पट्टी के रूप में अवस्थित होकर अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात से लगती हुई है तथा उस पर अपीलांट का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। किंतु विवादित आराजी का आवंटन आदेश दिनांक 9–10–01 द्वारा रेस्पोडेंट को किया गया। अतः उसका आवंटन दिनांक 16–3–88 निरस्त किया जावे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 30–7–02 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–8–03 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट के खेतों से मिली हुई व उस पर अपीलांट का पुराना कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट छोटी पट्टी के रूप में उक्त आराजी की भूमि को नियमन व आवंटन कराने का पात्र था किंतु आवंटन कमेटी ने नियमों की पालना किये बिना रेस्पोडेंट को गैर कानूनी तरीके से विवादित आराजी का आवंटन कर दिया। रेस्पोडेंट सद्भाविक कृषक नहीं है व न ही उसने उक्त आराजी पर आज दिनांक तक कोई काश्त की है। रेस्पोडेंट का मुख्य पेश चाय की होटल है तथा वह सद्भावी कृषक नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य था किंतु परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी बहाल रखा। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के साथ उपलब्ध निर्णयों का अवलोकन व अध्यन किया गया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुये इस आधार पर खारिज किया कि रेस्पोडेंट विधवा महिला है तथा उसके पास कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है जबकि अपीलांट के पास 2.48 हेक्टयर भूमि है इसलिये खसरा नंबर 55 के शेष रकबे का रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन उचित माना। विवादित आराजी छोटी पट्टी की श्रेणी में भी नहीं आती है है। राजस्व एजेंसी ने अपीलांट से मिलीभगत कर बिना न्यायिक आदेश के मौका पर्चा बनाया व रेस्पोडेंट के सबंध में उसके व्यवसाय की सूचना एकत्र की है तथा खसरा नंबर 55 रकबा 55 ऐयर के एक टूकडे को आवंटन कैंप में आवंटित करवा कर शेष रकबे कों अपीलांट को छोट्टी पट्टी के रूप में दिलवाने के उदेश्य से जवाब व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अन्य कार्यवाहीं तैयार की है। परीक्षण न्यायालय ने जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाहीं हेतु अपने निर्णय में निवेदन करते हुये अपीलांट का प्रार्थना पत्र सही रूपसे खारिज किया है। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ ने इस आधार पर खारिज की है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 55 का कुल रकबा 55 एयर है जिसमें से रेस्पोडेंट को 27 ऐयर भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय से भूमिहीन कृषक के रूप में किया गया है, इसलिये विवादित आराजी छोटी पट्‌टी के रूप में स्थित होने का अपीलांट के तर्क को न्यायसंगत नहीं माना। विवादित आराजी का आवंटन लधु पट्‌टी के रूप में न होकर भूमिहीन कृषक के रूप में होने के कारण अभिभाषक अपीलांट का यह तर्क सारहीन हो जाता है कि विवादित आराजी छोटी पट्‌टी के रूप में उसे आवंटित की जानी चाहिये थी। अपीलांट यह सिद्ध करने में में विफल रहे है कि फर्जी, छलपूर्वक व गलत तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेंट द्वारा आवंटन कराया गया हो। अतः यह सिद्ध नहीं होता की रेस्पोडेंट के पक्ष में अनियमित आवंटन हुआ हो। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अनुसार :– *“(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub Divisional Officer or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules, either suo-moto or on an application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment. Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.”* उक्त नियम में आवेदक ने आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो। उपरोक्त उल्लेखित, विवेचित तथ्यों से प्रकट नहीं होता। अपीलांट द्वारा विवादित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	आराजी पर वर्षो से कब्जाकाश्त होना बताया गया है। आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के तहत अतिक्रमी द्वारा सिवाचयक भूमि पर अतिक्रमण की दशा में नियमन का प्रावधान है। आवंटन से पूर्व नियमों के तहत आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि के लिये उद्घोषणा जारी करने का प्रावधान है। यदि अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर आवंटन की तिथि से पूर्व काबिज था तो उसे नियमन हेतु प्रावधानोनुसार आवेदन आवंटन कमेटी के समक्ष करना चाहिये था।आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के प्रावधानों के तहत मिसरिप्रजेंटेशन या fraud के द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवंटन कराने या नियमों के विरूद्ध आवंटन कराने पर या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना करने पर ही आवंटन खारिज करने का प्रावधान है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नियम 14(4) की उक्त शर्तो की अवहेलना नहीं पाई है। अपीलांट हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध माना जा सके। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। अतः अपील खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	

अपील/ एलआर/5711/2003 / जिला चित्तौडगढ
गंगाबाई वगैरह बनाम मु0जानीबाई व अन्य